HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 3511/2026

Mrs. Seema Sasi W/o Mr. Deepak Sansi, Aged About 28 Years, R/o House Number 221, Water Box Lane, Vaidpuri Colony, Aamagarh, Police Station Transport Nagar, Jaipur. (At Present Confined At Mahila Jail, Jaipur).

----Petitioner/accused

Versus

The State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Umesh Vyas
For Respondent(s)	:	Mr. Rishi Raj Singh Rathore, PP

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI
(V. J.)

Order

08/06/2026

प्रकरण में शीघ्र सुनवाई किये जाने संबंधी विविध प्रार्थना पत्र संख्या 03/2026 पर सुना गया।

प्रार्थना पत्र में अंकित कारण व प्रस्तुत तर्क को देखते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

प्रार्थिया/अभियुक्ता की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (धारा 439 दं.प्र.सं.) पुलिस थाना ट्रांसपोर्ट नगर, जयपुर शहर (पूर्व) में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 30/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 8/21 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम में पेश किया गया है।

प्रार्थिया/अभियुक्ता के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थिया/अभियुक्ता निर्दोष है। प्रार्थिया/अभियुक्ता 28 वर्षीय महिला है। दिनांक 20.02.2026 से अभिरक्षा में चल रही है। प्रार्थिया/अभियुक्ता के रीया नाम की एक पुत्री

है, जिसकी जन्मतिथि 18.02.2018 है। प्रार्थिया/अभियुक्ता के अभिरक्षा में रहने के दौरान दिनाक 12.03.2026 को एक पुत्र का जन्म हुआ है। प्रार्थिया/अभियुक्ता के अभिरक्षा में रहने के कारण पुत्र की सही देखभाल सम्भव नहीं है। प्रार्थिया/अभियुक्ता के आधिपत्य से बरामद मादक पदार्थ की मात्रा वाणिज्यिक मात्रा से कम है। प्रकरण में आरोपपत्र प्रस्तुत हो चुका है। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा। यदि प्रार्थिया पुनः अपराध करती है, तो वे उसका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करवाने के लिए सहमत हैं। अतः प्रार्थिया/अभियुक्ता का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि यद्यपि बरामदशुदा मादक पदार्थ की मात्रा वाणिज्यिक मात्रा से कम है, परंतु प्रार्थिया/अभियुक्ता के विरूद्ध पूर्व के 08 अन्य आपराधिक प्रकरण संस्थित हैं। अतः यह जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

मैंने उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में प्रार्थिया/अभियुक्ता के आधिपत्य से जो मादक पदार्थ बरामद हुआ है, वह वाणिज्यिक मात्रा से कम है। प्रार्थिया/अभियुक्ता महिला है, जो दिनांक 20.02.2026 से निरन्तर न्यायिक अभिरक्षा में है तथा उसके न्यायिक अभिरक्षा में रहने के दौरान उसके एक पुत्र का जन्म हुआ है।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों तथा प्रार्थिया/अभियुक्ता की अभिरक्षा अवधि व उसके नवजात पुत्र की देखभाल व सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थिया/अभियुक्ता को सशर्त जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थिया/अभियुक्ता **सीमा सांसी पत्नी श्री दीपक सांसी** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र सशर्त स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थिया/अभियुक्ता इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पचास–पचास हजार रूपये की दो सुदृढ़ एवं

विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उसे हस्तगत प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे। यदि भविष्य में प्रार्थिया/अभियुक्ता द्वारा पुनः समान प्रकृति का अपराध कारित किया जाता है तो अभियोजन पक्ष प्रार्थिया/अभियुक्ता को प्रदत्त जमानत सुविधा को निरस्त करवाने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI (V. J.)),J

31/VISHAL SHARMA